निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 17/2021 (रसद अपील)

श्रीमती रेखा कंवर पत्नी श्री मानसिंह निवासी ग्राम भौनावास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय जयपुर
2. महिला बाल विकास विभाग जरिये उप निदेशक कमरा नम्बर 206, कलक्ट्रेट जयपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, पावटा जिला जयपुर ।
4. ग्राम पंचायत भौनावास जरिये सचिव, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के रिट पीटीशन नबर 3668/2021 आदेश दिनांक 23.03.2021 की पालना मे प्रस्तुत अपील बाबत सहायका मानदेय पद, आंगन बाडी केन्द्र भौनावास हेतु चयन के सम्बन्ध में ।

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. विभागीय पैरोकार प्रत्यर्थी 1, 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 02.01.2023**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट पीटीशन नवर 3668/2021 आदेश दिनांक 23.03.2021 की पालना मे सहायिका मानदेय पद आंगन बाडी केन्द्र भौनावास हेतु चयन के उपरान्त नियुक्ति नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रत्यर्थीगण ने विभागीय पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन मांगे थे। अपीलार्थी सहायिका पद, आंगन बाडी केन्द्र भौनावास के लिए सामान्य श्रेणी में सारी योग्यता विज्ञापन से पूर्व ही रखती थी। संबंधित ग्राम पंचायत को दो

जिला कलक्टर
जयपुर

आवेदन प्राप्त हुये एक अपीलार्थी रेखा कंवर का तथा दूसरा संतोष देवी का, संतोष देवी की आयु अधिक थी इसलिए उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी का आवेदन सही था इसलिए उसको चयनित कर लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा भी संबंधित अथोरिटी को अपीलार्थी के नाम की अनुशंषा की गई। अपीलार्थी को सहायिका के पद पर चयनित कर लिया गया। अपीलार्थी ने चयन के पश्चात ग्राम पंचायत भौनावास के बाल विकास परियोजना अधिकारी कोटपूतली को चयन एवं आगे के प्रशिक्षण एवं पद पर नियुक्ति करने हेतु दिनांक 25.02.2019 को पत्र भेजा । अपीलार्थी का नाम चयन सूची में था, इसलिए कई बार सक्षम अधिकारी को प्रशिक्षण एवं नियुक्ति देने के लिए कहा। कई बार बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय कोटपूतली भी गई, तब उसे कुछ समय इंतजार करने को कहा। कुछ समय बाद क्षेत्राधिकार बदंल गया। एक नया कार्यालय पावटा में संस्थापित किया गया। अपीलार्थी को यह कहते हुये की वर्तमान में नियुक्ति करने का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारी पावटा को है, अपीलार्थी की पत्रावली को पावटा बाल विकास परियोजना अधिकारी को भिजवा दी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी पावटा ने दिनांक 19.09.2019 को दूसरा विज्ञापन विभिन्न पदों के लिए जारी किया। इस विज्ञापन में सहायिका का पद आंगनबाडी केन्द्र भौनावास में खाली नहीं दर्शाया गया था उसके सामने कालम को खाली पद शून्य लिखा था, जिससे स्वतः ही सिद्व होता है कि यह पद रिक्त नहीं था। अपीलार्थी ने सहायिका के पद पर नियुक्ति देने के लिए बार–बार सम्पर्क किया, लेकिन हर बार उसे यही कहा गया कि नियुक्ति दे दी जायेगी। दिनांक 01.03.2021 को एक नया विज्ञापन जारी किया गया जिसे देख कर अपीलार्थी आश्चर्यचकित रह गई तब अपीलार्थी ने पुनः सम्पर्क किया, किन्तु किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं मिला । चूंकि अपीलार्थी को उसी पद पर नियुक्ति की उम्मीद थी। इसलिए अपना पक्ष रखा और उस पद पर नियुक्ति हेतु निवेदन किया, किन्तु किसी ने ध्यान नहीं दिया। रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को उस पद पर चयनित होने के बाद भी बिना किसी कारण के केवल राजनैतिक दबाववश नियुक्ति नहीं दी। अपीलार्थी को नियुक्ति का अधिकार है। प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है जिस पर अधिवक्ता से समपर्क कर माननीय उच्च न्यायालय मे रिट पीटिशन 3668/2021 रेखा कंवर बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। जिस पर माननीच उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.03.2021 को अपना निर्णय सुनाते हुये माननीय जिला कलक्टर के समक्ष अपील पेश करने हेतु निर्देशित किया जिसकी पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट का यह कृत्य संविधान के आर्टीकल 14, 16, 21 एवं 335 के विरूद्व है। अपीलार्थी को डर है कि उसके आवेदन को गलत तरीके से निरस्त कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को निर्देशित

जिला कलक्टर
जयपुर

किया जावे की अपीलार्थी को इस पद पर नियुक्ति दे तथा सेवा के सभी लाभ जैसे कि वरिष्ठता उसके प्रथम चयन से दी जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से विभागीय पैरोकार ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उप निदेशक कार्यालय जयपुर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा परियोजनाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर विज्ञप्ति संख्या 23/2020–21 निकाली गई थी। जिसमें आंगनबाडी केन्द्र भौनावास–3 हेतु सहायिका पद सम्मलित है। पूर्व में कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा विज्ञप्ति संख्या 05–2017 द्वारा आंगनबाडी केन्द्र भौनावास–3 हेतु सहायिका पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति संख्या 23/2020–21 हेतु अपीलार्थी ने आवेदन नहीं किया। विज्ञप्ति संख्या 5–2017 हेतु अपीलार्थी ने आवेदन किया था, परन्तु अपीलार्थी पद हेतु आवश्यक योग्यताधारी नहीं थी। अपीलार्थी की आयु आवश्यक आयु सीमा से कम थी। अपीलार्थी मानदेय पद हेतु आवश्यक योग्यताधारी नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा सहायिका पद हेतु आवेदन किया व ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया, लेकिन चयन गलत होने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी पावटा द्वारा उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर को सूचित किया व उप निदेशक कार्यालय द्वारा आदेश कमांक 14077 दिनांक 28.07.2020 के अनुशरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पावटा द्वारा आदेश कमांक 484 दिनाक 05.08.2020 द्वारा संबंधित मानदेय पद हेतु चयन प्रकिया निरस्त कर चयन को निरस्त कर दिया। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को दी गई। अपीलार्थी का चयन विभागीय मापदण्डानुसार नहीं होने के कारण सक्षम स्तर के निर्देशानुसार निरस्त किया गया था। अतः वादी संदर्भित मानदेय पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र थी। वादी के संदर्भित पद हेतु आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ । चूंकि वादी चयन विभागीय मापदण्डों के अनुसार नहीं होने के कारण चयन प्रकिया निरस्त की जा चुकी है । अतः वादी को आंगन बाडी केन्द्र भौनावास पर सहायिका मानदेय पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी रेखा कंवर द्वारा विभागीय विज्ञप्ति संख्या 05 दिनांक 10.04.2017 के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय आयु सीमा 21 वर्ष से कम थी जबकि विभागीय परिपत्र दिनांक 09.11.2016 के बिन्दू संख्या 2 व 4 में चयन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष थी। चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं पास थी जबकि वादी की शैक्षणिक योग्यता 8 वीं पास है। विभागीय नियमानुसार वादी चयन हेतु अपात्र थी। अतः चयन प्रकिया निरस्त कर सहायका मानदेय पद हेतु पुनः विज्ञप्ति जारी की गई । अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. सहायिका मानदेय पद ग्राम पंचायत भौनावास के लिए विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता 10 पास थी। जबकि अपीलार्थिया 21 वर्ष से कम एवं 8 वी पास ही थी। इसलिए अपीलार्थिया आगनबाडी केन्द्र भोनावास के सहायिका मानदेय पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र थी। अपीलार्थी द्वारा आयु एवं शिक्षा के मापदण्ड को पूरा नहीं करने से नियुक्ति नही दी गई है। अपीलार्थी द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार वांछित आयु एवं शिक्षा के दस्तावेज दौराने सुनवाई भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलार्थी का चयन गलत होने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी पावटा द्वारा उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर को सूचित करने व उप निदेशक कार्यालय द्वारा आदेश कमांक 14077 दिनांक 28.07.2020 के अनुशरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पावटा द्वारा आदेश कमांक 484 दिनाक 05.08.2020 द्वारा संबंधित मानदेय पद हेतु चयन प्रकिया निरस्त कर अपीलार्थी के चयन को निरस्त कर दिया है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

8. निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर